केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं

सूचना सेवा

खंड .1

केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं

इस पुस्तिका में केन्द्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का पूर्ण विवरण है जो संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे सूचना मित्र के लिए सहायक है

इस पुस्तिका की विषय सामग्री सरकारी ऑनलाईन स्रोत से ली गई है। इस पुस्तिका में सिर्फ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का विवरण है जो समाज के वृहद वर्ग को लाभान्वित करता है।

इस पुस्तिका में सरल एवं आसानी से समझे जाने युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है।

इस पुस्तिका के संदर्भ में सुझाव हेतु या अन्य विवरण हेतु निचे दिए गये पते पर संपर्क करें

डिजिटल एंपावरमेंट फाउंडेशन
म.स. 44, द्वितिय एवं तृतिय तल, नारायणा आई.आई.टी एकेडमी के पास, कालूसराय, नई दिल्ली-110016
ईमेंलः defindia.net
दूरभाषः 91-11-26532786 / Fax: 91-11-26532787
वेबसाईटः www.defindia.net

केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं

08 स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं

14 शिक्षा से संबंधित योजनाएं

20 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं

29 आजीविका/रोजगार से संबंधित योजनाएं

32 कृषि/पशुपालन संबंधित योजनाएं

स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं

1 जननी शिशु सुरक्षा योजना

मंत्रालय/विभाग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	गर्भवती महिलाएं एवं अस्वस्थ शिशु
लाभ	गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाएं/लाभ • स्वास्थ्य केन्द्र में मुफ्त आहार (सामान्य प्रसव के दौरान 3 दिनों तक एवं आपरेशन द्वारा प्रसव के दौरान 7 दिनों तक) • मुफ्त प्रसव • मुफ्त ऑपरेशन • अस्वस्थ्य नवजात शिशु का 30 दिनों तक मुफ्त ईलाज • मुफ्त दवाएं • मुफ्त डायगोनोस्टिक • रक्त की आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त व्यवस्था • घर से अस्पताल तक जाने के लिए मुफ्त साधन की व्यवस्था नवजात शिशु को जन्म से 30 दिनों तक मिलने वाली सुविधाएं/लाभ • नवजात शिशु के अस्वस्थ होने की स्थिती में 30 दिनों तक मुफ्त चिकित्सीय सुविधा, मुफ्त दवाएं, मुफ्त डायगोस्टिक एवं घर से अस्पताल तक मुफ्त साधन की व्यवस्था
योग्यता	गर्भवती महिलाएं एवं अस्वस्थ्य शिशु
आवश्यक प्रमाणपत्र	कोई भी नही
आवेदन कैसे करें	प्रसव सिर्फ सरकारी अस्पताल में कराएं
अन्य सूचनाएं	केई भी नही
संपर्क	ए.एस व एम.डी (एन.एस.एम) 148–ए, निर्माण भवन एक्सटेंसन न0. 308 दूरभाषः 23061066/23063809 ईमेल : ash-mohfw@nic.in वेबसाईट : http://nrhm.gov.in/

2 जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.)

<table>
<tr><td>मंत्रालय/विभाग</td><td>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>योजना की अवधि</td><td>निर्धारित नही की गई है</td></tr>
<tr><td>लक्षित समूह</td><td>गरीब गर्भवती महिलाएं</td></tr>
<tr><td>लाभ</td><td>प्रसव के दौरान एवं प्रसव के बाद गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता
<table>
<tr><td>वर्ग</td><td colspan="2">ग्रामीण क्षेत्र में</td><td>कुल</td><td colspan="2">शहरी क्षेत्र में</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td></td><td>महिला</td><td>आशा</td><td>कुल</td><td>महिला</td><td>आशा</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>एल.पी.एस</td><td>1400</td><td>600</td><td>2000</td><td>1000</td><td>200</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>एच.पी.एस</td><td>700</td><td>200</td><td>900</td><td>600</td><td>200</td><td>800</td></tr>
</table>

आशा द्वारा प्रसव पुर्व एवं प्रसव पश्चात देखभाल में सहायता

रजिस्ट्रेशन में सहायता
आवश्यक प्रसवपुर्व जांच एवं देखभाल में सहायता
टिटनेस टाक्साइड (टी.टी.) के इंजेक्सन एवं आयरन की गोली दिलाना
सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाना
10 सप्ताह तक नवजात शिशु का टीकाकरण करवाना
प्रसव पश्चात एक सप्ताह तक महिला की ट्रैकिंग करना
</td></tr>
<tr><td>योग्यता</td><td>आर्थिक सहायता हेतु योग्यता

fuEu in’kZu okys jkT; ¼,y-ih-,l-½ सभी महिलाएं जिनका प्रसव किसी सरकारी अस्पताल या सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में हुआ है।
mPp in’kZu okys jkT; ¼,p-ih-,l-½ गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) जीवनयापन करने वाली महिलाएं जिनकी उम्र 19 वर्ष या अधिक हो।
सभी अजा. अजजा. महिलाएं जिनका प्रसव किसी सरकारी अस्पताल या सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में हुआ है।
</td></tr>
<tr><td>आवश्यक प्रमाणपत्र</td><td>बी.पी.एल कार्ड व आवश्यक प्रमाणपत्र</td></tr>
<tr><td>आवेदन कैसे करें</td><td>सभी गर्भवती महिला के पास एक जननी सुरक्षा कार्ड या मातृ–शिशु कार्ड होना आवश्यक है जो वहां की स्थानीय आशा से, ए.एन.एम से, आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लिया जा सकता है।

सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रसव के दौरान रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद मिलता है।

घर पर प्रसव की स्थिती में बीपीएल महिलाओं को 2 नुकसान रहित जन्म कें दौरान 500 रूपये दियें जाते है। यह सहायता प्रसव के तुरंत बाद अथवा 7 दिनों कें भीतर आशा या ए.एन.एम द्वारा</td></tr>
</table>

निम्न प्रदर्शन वाले राज्य (एल.पी.एस)

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ़, आसाम, राजस्थान, उड़ीसा एवं जम्मू व कश्मीर

अन्य सूचनाएं	• उच्च प्रदर्शन वाले राज्य में इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है। यह कार्ड ग्राम–प्रधान या वार्ड के सहयोग से बनावाया जा सकता है • इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सरकारी अस्पतालों के साथ–साथ निजी अस्पतालों में भी मिलती है जो सरकार के सहयोग से इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे है।
संपर्क	ए.एस व एम.डी (एन.एस.एम) 148–ए, निर्माण भवन एक्सटेंसन न0. 308 दूरभाषः 23061066 / 23063809 ईमेल : ash-mohfw@nic.in वेबसाईट : http://nrhm.gov.in/

3 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

मंत्रालय / विभाग	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	• गर्भवती एवं धात्री (दूध पिलाने वाली महिलाएं) एवं नवजात शिशु
लाभ	• पोषाहार एवं सुरक्षित प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि • गर्भवती एवं धा़त्री महिलाओं को पहली तिमाही से शिशु के 6 माह का होने तक 4000 रूपये तीन किस्तों में दी जाएगी।
योग्यता	• न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष आयु • बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला परिवार)
आवश्यक प्रमाणपत्र	
आवेदन कैसे करें	गर्भावस्था के दौरान नजदीकी आंगनवाड़ी में संपर्क करें
अन्य सूचनाएं	• यह योजना सरकारी / अर्धसरकारी कर्मचारियों (केन्द्र / राज्य) के लिए नही है क्योकि उन्हे सवेतन मातृत्व अवकास मिलता है।
संपर्क	ए.एस व एम.डी (एन.एस.एम) 148–ए, निर्माण भवन एक्सटेंसन न0. 308 दूरभाषः 23061066 / 23063809 ईमेल : ash-mohfw@nic.in वेबसाईट : http://nrhm.gov.in/

4 सबला (राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना)

मंत्रालय / विभाग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	स्कूज जाने वाली अथवा ना जाने वाली 11 से 18 वर्ष की किशोरी
लाभ	• किशोरी लड़कियों को महीने में कम से कम 2 बार या सप्ताह में एक बार अवकास के दिनों में आंगनवाड़ी जाना है। जहां उन्हे जीवन कौशल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वास्थवर्धक भोजन के बारे में परामर्श दिया जाता है। • परामर्श कार्यक्रम में दौराम किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के बारे में बताया जाता है।
योग्यता	• 11 से 14 वर्ष की स्कूल जाने वाली किशोरी • 14 से 18 वर्ष की सभी किशारी (स्कूल जाने वाली या ना जाने वाली)
आवश्यक प्रमाणपत्र	किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है
आवेदन कैसे करें	आंगनवाड़ी केन्द्र में जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिलें
अन्य सूचनाएं	
संपर्क	सहायक निदेशक सबला ईमेल : arora.prabha@nic.in वेबसाईट : http://wcd.nic.in/

शिक्षा से
संबंधित योजनाएं

1 सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)

मंत्रालय/विभाग	शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	6 से 14 वर्ष के बालक–बालिकाएं, विशेषकर बीपीएल परिवारों के बच्चे, अजा. अजजा एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे व अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चे आदि
लाभ	मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा
योग्यता	6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे
आवश्यक प्रमाणपत्र	कोई भी नही
आवेदन कैसे करें	नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में जाकर दाखिला कराएं
अन्य सूचनाएं	दाखिले के बाद स्कूल ड्रेस व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा
संपर्क	सेक्रेटरी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता दूरभाषः 91–11–23382587/91–11–23381104 ईमेल : secy.sel@nic.in वेबसाईट : http://mhrd.gov.in/

2 मिड डे मील

मंत्रालय / विभाग	शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	सभी प्राथमिक विद्यालय, सरकार से मान्यताप्राप्त विद्यालय
लाभ	200 दिनों तक दोपहर का भोजन जिसमें न्यूनतम 300 कैलोरी उर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है
योग्यता	6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे
आवश्यक प्रमाणपत्र	सभी प्राथमिक विद्यालय, सरकार से मान्यताप्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी
आवेदन कैसे करें	नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में जाकर दाखिला कराएं
अन्य सूचनाएं	दाखिले के बाद स्कूल ड्रेस व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा
संपर्क	सेक्रेटरी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता दूरभाषः 91—11—23382587 / 91—11—23381104 ईमेल : secy.sel@nic.in वेबसाईट : http://mhrd.gov.in/

3 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय / विभाग	शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	• आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय / वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय (अल्पसंख्यकों के कानून के लिए राष्ट्रीय आयोग, 1992 के धारा 2(स) के अंतर्गत) के मेघावी छात्र / छात्रा जो किसी भी सरकारी विद्यालय या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हों • छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान के तहत् स्कालरशिप में 30 प्रतिशत आरक्षण है • किसी भी कारण विद्यालय में छात्राओं की पर्याप्त संख्या न होने पर आरक्षित स्कालरशिप मेघावी छात्र को दी जा सकती है
लाभ	(नीचे तालिका देखें)

कक्षा	वार्षिक प्रवेश शुल्क		मासिक ट्युशन शुल्क		मासिक रख–रखाव भत्ता (10 माह तक)	
	हास्टल में रहने वाल छात्र	सामान्य छात्र	हास्टल में रहने वाल छात्र	सामान्य छात्र	हास्टल में रहने वाल छात्र	सामान्य छात्र
1 से 5	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	कुछ नही	रू 100
6 से 10	रू 500	रू 500	रू 350	रू 350	रू 600	रू 100

योग्यता	• परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपय से कम होनी चाहिए • पिछली कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आए हो • एक परिवार के सिर्फ 2 विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी • विद्यार्थी सभी प्रकार की छात्रवृत्ति में से सिर्फ एक के लिए ही योग्य होगा अर्थात यदि उसे पहले से ही छात्रवृत्ति मिल रही है तो वह इस छात्रवृत्ति के योग्य नही है
आवश्यक प्रमाणपत्र	• 2 स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ • आयु प्रमाण पत्र • शैक्षिक प्रमाणपत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित • 10 रूपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अभिभावक का आय शपथपत्र • गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक शपथपत्र / प्रमाणपत्र • निवास पमाणपत्र
आवेदन कैसे करें	अपने विद्यालय में अध्यापक / प्रधानाचार्य से संपर्क करें। यह योजना प्रतिवर्ष एंक निश्चित अवधि के लिए होती है।
अन्य सूचनाएं	इस योजना का लाभ एक बार मिलने पर यह अग्रिम वर्षो में भी मिलती रहेगी। लेकिन विद्यार्थी को अगली कक्षा में छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए वर्तमान सत्र में 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।
संपर्क	सचिव अल्पसंख्यक मंत्रालय 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओं काम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली दूरभाषः 91–11–24364272 एक्सटेशन न0. 306 ईमेल : secy-mma@nic.in वेबसाईट : http://minorityaffairs.gov.in

भारत में अल्पसंख्यक समुदाय
मुश्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध व पारसी

4 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

<table>
<tr><td>मंत्रालय/विभाग</td><td>शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>योजना की अवधि</td><td>निर्धारित नही की गई है</td></tr>
<tr><td>लक्षित समूह</td><td>

आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय/वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय (अल्पसंख्यकों के कानून के लिए राष्ट्रीय आयोग, 1992 के घारा 2(स) के अंतर्गत) के मेघावी छात्र/छात्रा जो किसी भी सरकारी विद्यालय या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हों
छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान के तहत् स्कालरशिप में 30 प्रतिशत आरक्षण है
किसी भी कारण विद्यालय में छात्राओं की पर्याप्त संख्या न होने पर आरक्षित स्कालरशिप मेघावी छात्र को दी जा सकती है

</td></tr>
<tr><td>लाभ</td><td>
<table>
<tr><td>कक्षा</td><td>वर्ग</td><td>हास्टल में रहने वाल छात्र</td><td>सामान्य छात्र</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11 से 12 (सामान्य विषय हेतु)</td><td>प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क</td><td>अधिकतम 7,000 रूपये प्रति वर्ष</td><td>अधिकतम 7000 रूपये प्रति वर्ष</td></tr>
<tr><td>रखरखाव भत्ता (केवल 10 माह तक)</td><td>280 रूपये प्रति माह</td><td>230 रूपये प्रति माह</td></tr>
<tr><td rowspan="2">11 से 12 (तकनिकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु)</td><td>प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं कच्ची सामग्री हेतु</td><td>अधिकतम 10,000 रूपये प्रति वर्ष</td><td>अधिकतम 10,000 रूपये प्रति वर्ष</td></tr>
<tr><td>रखरखाव भत्ता (केवल 10 माह तक)</td><td>570 रूपये प्रति माह</td><td>300 रूपये प्रति माह</td></tr>
<tr><td rowspan="2">स्नातक एवं परास्नातक हेतु</td><td>प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क</td><td>अधिकतम 3,000 रूपये प्रति वर्ष</td><td>अधिकतम 3,000 रूपये प्रति वर्ष</td></tr>
<tr><td>रखरखाव भत्ता (केवल 10 माह तक)</td><td>570 रूपये प्रति माह</td><td>300 रूपये प्रति माह</td></tr>
<tr><td>एम.फिल एवं पी.एच.डी छात्रो हेतु</td><td>रखरखाव भत्ता (केवल 10 माह तक)</td><td>1200 रूपये प्रति माह</td><td>550 रूपये प्रति माह</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>योग्यता</td><td>

विद्यार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए
परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपय से कम होनी चाहिए
पिछली कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आए हो
एक परिवार के सिर्फ 2 विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी

</td></tr>
<tr><td>आवश्यक प्रमाणपत्र</td><td>

2 स्वप्रमाणिम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
आयु प्रमाण पत्र
शैक्षिक प्रमाणपत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित
10 रूपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अभिभावक का आय शपथपत्र
गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक शपथपत्र/प्रमाणपत्र
निवास पमाणपत्र

</td></tr>
</table>

आवेदन कैसे करें	इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का आवेदन मंत्रालय की वेबसाईट www. momascholarship.gov.in. पर किया जा सकता है। पूर्ण भरे हुए फार्म का प्रिन्ट लेकर विद्यालय/संस्थान में प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारी से संपर्क करना है। • एक स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ • सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति • आय प्रमाण पत्र • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
अन्य सूचनाएं	इस योजना का लाभ एक बार मिलने पर यह अग्रिम वर्षो में भी मिलती रहेगी। लेकिन विद्यार्थी को अगली कक्षा में छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए वर्तमान सत्र में 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।
संपर्क	सचिव अल्पसंख्यक मंत्रालय 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओं काम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली दूरभाषः 91–11–24364272 एक्सटेशन न0. 306 ईमेल : secy-mma@nic.in वेबसाईट : http://minorityaffairs.gov.in

सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं

1 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

मंत्रालय/विभाग	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	ऐसे वृद्ध पुरूष या महिलाएं जिनका स्वयं का/परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई नियमित आर्थिक सहायता न हो इस योजना का पात्र है
लाभ	इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि दो भागों में होगी 1. केन्द्रीय सहायता – निर्धारित है 2. राज्य सहायता – प्रत्येक राज्य में राशि अलग–अलग है आयु / केन्द्रीय सहायता राशि / राज्य सहायता राशि 60 से 79 वर्ष / 200 रूपये / सारणी देखें 80 वर्ष से उपर / 500 रूपये / सारणी देखें
योग्यता	• पुरूष या महिला की आयु 60 वर्ष से अधिक हो • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) हो
आवश्यक प्रमाणपत्र	• आयु प्रमाण पत्र • मतदाता पहचान पत्र/अन्य पहचान पत्र जिसमें पता एवं जन्म तिथि अंकित हो
आवेदन कैसे करें	लगभग सभी राज्यों के यह योजना सामजिक कल्याण विभाग से संचालित होती है जहां से आवेदन फार्म लिया जा सकता है। पूर्ण भरे हुए फार्म को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/प्रधान/ग्राम सभा से व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय समिति पेंशन के लिए अनुमोदित कर सकती है
अन्य सूचनाएं	पेंशन की राशि लाभार्थी के सार्वजनिक बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस के खाते में जाएगी। जहां से लाभार्थी अपनी राशि निकाल सकता है
संपर्क	सचिव राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय काशी भवन, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली – 110114 दूरभाषः 91–11–24360565 ईमेल : rekhachauhan2@yahoo.com वेबसाईट : http://nsap.nic.in/

	60 ls 80 o"k rd ds fy,			80 o"k ls mij ds fy,		
प्रदेश/राज्य	केन्द्रीय सहायता राशि	राज्य सहायता राशि	कुल	केन्द्रीय सहायता राशि	राज्य सहायता राशि	कुल
झारखंड	200 रूपये	200 रूपये	400 रूपये	500 रूपये	200 रूपये	700 रूपये
उत्तराखंड	200 रूपये	200 रूपये	400 रूपये	500 रूपये	200 रूपये	700 रूपये
राजस्थान	200 रूपये	300 रूपये	500 रूपये	500 रूपये	550 रूपये	1050 रूपये
मध्य प्रदेश	200 रूपये	75 रूपये	275 रूपये	500 रूपये	75 रूपये	575 रूपये
बिहार	200 रूपये	.....	200 रूपये	500 रूपये	......	500 रूपये

राज्यों द्वारा निर्धारित सहायता राशि सरकार की बेवसाईट http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=64387 से ली गई है

2 राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

<table>
<tr><td>मंत्रालय/विभाग</td><td>राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>योजना की अवधि</td><td>निर्धारित नही की गई है</td></tr>
<tr><td>लक्षित समूह</td><td>गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 या अधिक उम्र की सभी विधवा महिलाएं</td></tr>
<tr><td>लाभ</td><td>इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि दो भागों में होगी
1. केन्द्रीय सहायता – निर्धारित है
2. राज्य सहायता – प्रत्येक राज्य में राशि अलग–अलग है
<table>
<tr><td>आयु</td><td>केन्द्रीय सहायता राशि</td><td>राज्य सहायता राशि</td></tr>
<tr><td>40 से 79 वर्ष</td><td>300 रूपये</td><td rowspan="2">राज्यों में अलग अलग है</td></tr>
<tr><td>80 वर्ष से अधिक</td><td>500 रूपये</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>योग्यता</td><td>● विधवा महिला जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो
● आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) हो</td></tr>
<tr><td>आवश्यक प्रमाणपत्र</td><td>● पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
● आयु प्रमाण पत्र
● पहचान पत्र</td></tr>
<tr><td>आवेदन कैसे करें</td><td>लगभग सभी राज्यों के यह योजना सामजिक कल्याण विभाग से संचालित होती है। कुछ जिलों में महिला एवं बाल कल्याण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से भी संचालित होती हैं, जहां से आवेदन फार्म लिया जा सकता है। पूर्ण भरे हुए फार्म को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/प्रधान/ग्राम सभा से व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय समिति पेंशन के लिए अनुमोदित कर सकती है</td></tr>
<tr><td rowspan="2">अन्य सूचनाएं</td><td>विधवा पेंशन योजना का लाभ दो कारणों से निरस्त हो सकता है।
1. विधवा महिला की दूसरी शादी होने पर
2. जब महिला गरीबी रेखा से उपर (ए.पी.एल) हो जाती है</td></tr>
<tr><td>विधवा पेंशन की राशि सीधे महिला के बैंक/पोस्टऑफिस के खाते में जीयेगी</td></tr>
<tr><td>संपर्क</td><td>सचिव
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
काशी भवन, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली – 110114
दूरभाषः 91–11–24360565
ईमेल : rekhachauhan2@yahoo.com
वेबसाईट : http://nsap.nic.in/</td></tr>
</table>

3 राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना

<table>
<tr><td>मंत्रालय/विभाग</td><td>राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>योजना की अवधि</td><td>निर्धारित नही की गई है</td></tr>
<tr><td>लक्षित समूह</td><td>गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विकलांग पुरूष/महिला</td></tr>
<tr><td>लाभ</td><td>इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि दो भागों में होगी
1. केन्द्रीय सहायता – निर्धारित है
2. राज्य सहायता – प्रत्येक राज्य में राशि अलग–अलग है
<table>
<tr><td>आयु</td><td>केन्द्रीय सहायता राशि</td><td>राज्य सहायता राशि</td></tr>
<tr><td>18 से 79 वर्ष</td><td>300 रूपये</td><td rowspan="2">राज्यों में अलग अलग है</td></tr>
<tr><td>80 वर्ष से अधिक</td><td>500 रूपये</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>योग्यता</td><td>• विकलांग पुरूष/महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो
• आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) हो
• आवेदक का कोई बेटा 21 वर्ष से अधिक उम्र का ना हो</td></tr>
<tr><td>आवश्यक प्रमाणपत्र</td><td>• विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी जिला अस्पताल से प्रमाणित
• सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिया हुआ पहचान पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• 21 वर्ष से अधिक उम्र का कोई बेटा नही है इसको प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र (यह बीपीएल राशन कार्ड हो सकता है)</td></tr>
<tr><td>आवेदन कैसे करें</td><td>विकलांग पेंशन योजना सामान्यतया समाज कल्याण विभाग से संचालित होती है, जहां से आवेदक को जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/सहायता अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क फार्म लेना होगा।
पूर्ण भरे हुए फार्म को सभी आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ पुनः जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/सहायता अधिकारी को देना होगा।</td></tr>
<tr><td>अन्य सूचनाएं</td><td>जिला स्तर पर जिला परिषद् व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आवेदन को अनुमोदित करता है</td></tr>
<tr><td>संपर्क</td><td>सचिव
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
काशी भवन, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली – 110114
दूरभाषः 91–11–24360565
ईमेल : rekhachauhan2@yahoo.com
वेबसाईट : http://nsap.nic.in/</td></tr>
</table>

4 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

मंत्रालय / विभाग	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	घर में कमाने वाले की मृत्यु होने पर उसके आश्रित / परिवार
लाभ	इस योजना के अंतर्गत 20,000 रूपये एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि घर में कमाने वाले की मृत्यु पर उसके आश्रितो एवं परिवारवालों को मिलेगा।
योग्यता	• परिवार में कमाऊ सदस्य (पुरूष / महिला) जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष हो की मृत्यु हो गई हो • परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) हो
आवश्यक प्रमाणपत्र	• मृत्यु प्रमाण पत्र • पहचान पत्र • निवास प्रमाण पत्र / बीपीएल राशन कार्ड
आवेदन कैसे करें	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना सामान्यतया समाज कल्याण विभाग से संचालित होती है। पूर्ण भरे हुए फार्म को जिला समिति / ग्राम पंचायत अथवा संबंधित प्रभाग से अनुमोदित करवा कर समाज कल्याण विभाग में जमा करवाना हो होता है
अन्य सूचनाएं	आश्रित / परिवार के अंतर्गत पति / पत्नी, नाबालिक पुत्र / पुत्री, अविवाहित पुत्री एवं माता–पिता शामिल है। कमाऊ अविवाहित युवक / युवती के मृत्यु की स्थिती में नाबालिक भाई या बहन भी आश्रितों में शामिल होंगे
संपर्क	सचिव राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय काशी भवन, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली – 110114 दूरभाष: 91–11–24360565 ईमेल : rekhachauhan2@yahoo.com वेबसाईट : http://nsap.nic.in/

5 अन्नपूर्णा योजना

मंत्रालय/विभाग	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	वृद्ध एवं बेसहारा व्यक्ति/परिवार
लाभ	10 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह
योग्यता	• 60 वर्ष या अधिक उम्र का होना चाहिए • वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ना मिल रहा हो • गरीबी रेखा से नीच (बीपीएल) होना चाहिए • स्वयं का/परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई नियमित आर्थिक सहायता न हो
आवश्यक प्रमाणपत्र	• आयु प्रमाण पत्र • पहचान पत्र
आवेदन कैसे करें	वे सभी महिला/पुरूष जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है और जिन्हे वृद्धावस्था पेशन योजना का लाभ नही मिलता है, वे यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है तो ग्राम सभा/पंचायत या ग्राम प्रधान से संपर्क कर सकते है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले आवदेक जिला समिति में आवेदन कर सकते है।
अन्य सूचनाएं	कोइ भी नही
संपर्क	सचिव राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय काशी भवन, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली – 110114 दूरभाष: 91–11–24360565 ईमेल : rekhachauhan2@yahoo.com वेबसाईट : http://nsap.nic.in/

6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

मंत्रालय/विभाग	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	• गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार • गरीबी रेखा से ऊपर जीवन–यापन करने मजदूर, सड़क के विक्रेता, धरेलू मजदूर, निर्माण कार्य में लगे मजदूर या इस प्रकार के अन्य कार्यो में लगे हुए मजदूर एवं कर्मचारी • मनरेगा के अंतर्गत एक माह में 15 दिन से अधिक कार्य करने वाले मजदूर
लाभ	• इस बीमा योजना के अतर्गत कर्मचारी/मजदूर के साथ परिवार (अधिकतम 5 सदस्य) को सम्मिलित किया जाएगा। • प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 30,000 रूपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। • सभी सामान्य बीमारियो के खर्च सम्मिलित है • यातायात में होने वाले खर्चे 100 रूपये प्रति भ्रमण की दर से अधिकतम 1000 रूपये तक की सहायता
योग्यता	• 60 वर्ष या अधिक उम्र का होना चाहिए • वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ना मिल रहा हो • गरीबी रेखा से नीच (बीपीएल) होना चाहिए • स्वयं का/परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई नियमित आर्थिक सहायता न हो
आवश्यक प्रमाणपत्र	• आयु प्रमाण पत्र • पहचान पत्र
आवेदन कैसे करें	वे सभी महिला/पुरूष जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है और जिन्हे वृद्धावस्था पेशन योजना का लाभ नही मिलता है, वे यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है तो ग्राम सभा/पंचायत या ग्राम प्रधान से संपर्क कर सकते है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले आवदेक जिला समिति में आवेदन कर सकते है।
अन्य सूचनाएं	कोइ भी नही
संपर्क	सचिव राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय काशी भवन, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली – 110114 दूरभाषः 91–11–24360565 ईमेल : rekhachauhan2@yahoo.com वेबसाईट : http://nsap.nic.in/

7 इन्दिरा आवास योजना

मंत्रालय/विभाग	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	• गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनके पास कच्चा या रहने के लिए अनुपर्युक्त मकान हो या • कोई मकान ना हो
लाभ	• समतल ईलाकों में 70,000 रूपये की आर्थिक सहायता • पहाड़ी या असमतल ईलाकों में 75,000 रूपये की आर्थिक सहायता • कच्चे मकान में सुधार हेतु 15,000 रूपये की आर्थिक सहायता • मकान बनाने के स्थान हेतु 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता
योग्यता	• गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अजा, अजजा या गैर–अजा, गैर–अजजा समुदाय से संबंधित परिवार • कूड़ा बीनने वाले परिवार अथवा पुनर्वासित मजदूर विशेष वरीयता • कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाएं • विधवा अथवा छोड़ी हुई महिलाएं • अत्याचार की शिकार महिलाएं • ऐसी महिलाएं जिनके पति के बारे मे पिछले 3 सालों से कोई सूचना/जानकारी न हो • मानसिक रूप से विकलांग (कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता) • विपरीत लिंगी (किन्नर समुदाय) का व्यक्ति • सेना/पुलिस या अन्य सरकारी सुरक्षा एंजेसी का सिपाही/कर्मचारी जो किसी कार्यवाही के दौरान शहीद हो गया हो कि बीपीएल विधवा महिला
आवश्यक प्रमाणपत्र	• पहचान पत्र अथवा • विशेष वरीयता की स्थिती में संबंधित प्रमाणपत्र
आवेदन कैसे करें	इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवेदन ग्राम पंचायत/ग्राम सभा स्तर पर की जा सकती है। इन्दिरा आवास सूची में से वरीयता के आधार पर सबसे गरीब को बरीयता दी जायेगी और योजना का लाभ मिलेगा
अन्य सूचनाएं	इन्दिरा आवास योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता में 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार व 25 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का होगा
संपर्क	डायरेक्टर दूरभाषः 91–11–23097048/23097048 ईमेल : rbcb1958@gmail.com वेबसाईट : http://iay.nic.in/

8 स्वधार (कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए)

मंत्रालय/विभाग	महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	• परिवार द्वारा त्याग दी गई विधवा महिलाएं • जेल से छूटी/सजा पूरी कर बाहर आने वाली महिलाएं जिनका परिवारिक सहारा ना हो। • प्राकृतिक आपदा में बची महिलाएं, जिनका कोई आर्थिक एवं सामाजिक सहारा ना हो। • वे महिलाएं जो वेश्यावृति में थी (किसी भी कारणवश) और यह छोड़ना चाहती हो लेकिन परिवार द्वारा अस्वीकार कर दी गई हो। • यौन अपराघ से पीड़ित किशोरी/महिलाएं जिन्हे परिवार द्वारा सहायता नही मिल रही हो। • आंतकवादी गतिविधियों की शिकार महिलाएं जिनका काई आर्थिक या सामाजिक सहारा न हो। • मानसिक रूप से अस्वस्थ (पूर्ण रूप से मानसिक रोगी ना हो) जो किसी भी आर्थिक या सामाजिक सहयोग से दूर हो। • एचआईवी से ग्रसित महिलाएं जो परिवार द्वारा छोड़ दी गई हो। • किसी भी अन्य प्रकार से कठिन परिस्थियों में रहने वाली महिलाएं
लाभ	• आश्रय में रहने हेतु किराया • भोजन व अन्य आवश्यक साम्रगी (महिला एवं उसके 18 वर्ष से कम उम्र के लिए) • परामर्श • नैदानिक (क्लिनिकल) एवं कानूनी सहायता • आर्थिक पुर्नवास हेतु प्रशिक्षण • हेल्पलाईन सहायता
योग्यता	• कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिला।
आवश्यक प्रमाणपत्र	• परिवार अथवा रिस्तेदार का पता • कानूनी प्रमाणपत्र (कानूनी परिस्थितियों में) • रेफरल पत्र (संस्था/संस्थान द्वारा भेजे जाने की स्थिती में)
आवेदन कैसे करें	महिला स्वयं महिला एवं बाल कल्याण विभाग, महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था में जाकर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकती है।
अन्य सूचनाएं	
संपर्क	अपर सचिव स्वघार दूरभाषः 91—11—23381970 ईमेल : dvkrao@nic.in वेबसाईट : http://iay.nic.in/

आजीविका/रोजगार से संबंधित योजनाएं

1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

मंत्रालय/विभाग	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	• गरीब एवं अत्यन्त गरीब • आय का कोई साधन न हो अथवा आय का सीमित साधन जिससे जीवन–यापन संभव ना हो
लाभ	• 100 दिनों का निश्चित रोजगार निर्धारित मेहनताने के साथ • आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार • कार्यस्थल पर शिशुओं का ध्यान रखने की व्यवस्था • कार्यस्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था • कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था • 5 किमी के दायरे से बाहर काम मिलने पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त राशि • जॉब कार्ड की व्यवस्था/अपने काम को देखने की व्यवस्था • आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार ना मिलने की स्थिती में भी भुगतान • रोजगार की दौरान किसी भी प्रकार की क्षति/चोट लगने पर अस्पताल का पूरा खर्च अथवा मृत्यु की स्थिती में अतिरिक्त सहायता • कार्य करने का निश्चित समय
योग्यता	• गरीबी/पुनर्वासित गरीब महिला/पुरूष • न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए • परिवार के सभी व्यस्क
आवश्यक प्रमाणपत्र	• पहचान पत्र अथवा • विशेष वरीयता की स्थिती में संबंधित प्रमाणपत्र
आवेदन कैसे करें	ग्राम पंचायत से मनरेगा रजिस्ट्रेशन फार्म लेकर आवेदन करें अथवा एक सादे कागज पर नाम, आयु, पता व अन्य आवश्यक जानकारियां लिखकर ग्राम पंचायत/सभा/प्रधान को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजें। आवेदन का कोई शुल्क नही होता है। एक रजिस्ट्रेशन में पूरा परिवार सम्मिलित होता है
अन्य सूचनाएं	• यह योजना बीपीएल समुदाय तक सीमित नही है। • रोजगार ना मिलने की स्थिती में देय भुगतान की राशि की गणना मनरेगा क मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम द्वारा की जाती है • महिलाओं को वरीयता
संपर्क	डायरेक्टर दूरभाषः 91–11–23388431 ईमेल : parasharindu@yahoo.co.in वेबसाईट : http://nrega.nic.in/

2 आजीविका स्किल्स (सीखो और कमाओ)

मंत्रालय / विभाग	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नही की गई है
लक्षित समूह	• गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवा 18 से 35 वर्ष के युवा (युवक / युवती) • विशेषकर महिलाएं अथवा आंशिक विकलांग
लाभ	• निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण (आवासीय प्रशिक्षण का अर्थ आवास, भोजन एवं यातायात की सुविधा के साथ) • प्रशिक्षण के उपरान्त निश्चित रोजगार • सरकार द्वारा आधारित न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन का रोजगार • रोजगार मिलने के बाद भी सहयोग राशि जिले में रोजगार मिलने की स्थिती में सहयोग राशि — 1000 रूपये प्रति माह 2 माह तक जिले से बाहर अपने राज्य में रोजगार मिलने की स्थिती में — 1000 रूपये प्रति माह 3 माह तक दूसरे राज्य में रोजगार मिलने की स्थिती में — 1000 रूपये प्रति माह 6 माह तक
योग्यता	• न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष आयु • बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला परिवार)
आवश्यक प्रमाणपत्र	• आयु प्रमाण पत्र • राशन कार्ड • 2 पासपोर्ट साईज फाटोग्राफ • पहचान प्रमाण पत्र • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें	यह योजना जिला स्तर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। अपने जिले में इस योजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था के बारे में जानकारी के लिए निचे दिये गये पते / मोबाईल नम्बर पर संपर्क करें। संस्थान के बारे मे जानकारी मिलने पर संबंधित संस्था में आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ संपर्क करें।
अन्य सूचनाएं	
संपर्क	आजीविका स्किल्स ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कोर–5ए, द्वितीय तल, इंडिया हैविटैट सेन्टर लोधी रोड ईमेल : वेबसाईट : http://nrlmskills.in/

आवश्यक मोबाईल नम्बर

ज्योति चेतिया	कार्यक्रम प्रबंधक	9505097544	ac.jonty@gmail.com
के.पी.राव	कार्यक्रम निदेशक	9849900799	kpraohyd@gmail.com
एल.ए.संथोस	सह–कार्यक्रम प्रबंधक	9550863525	santhoshmssw@gmail.com

कृषि व पशुपालन से संबंधित योजनाएं

1 डेयरी उद्यमिता विकास योजना

मंत्रालय/विभाग	पशुपालन, डेयरी एवं मतस्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय
योजना की अवधि	2017 तक
लक्षित समूह	• किसान • डेयरी सहकारी समिति • स्वयं सहायता समूह • गैर सरकारी संस्थाएं • दुग्ध संघ
लाभ	• संकरबद्ध गाय एवं श्रेणीबद्ध भैंसों के साथ लधु डेयरी ईकाईयों की स्थापना हेतु 5 लाख तक की सहायता राशि/ऋण (न्यूनतम 2 पशु एवं अधिकतम 10 पशु) • बछिया (गाय एवं भैंस दोनो के लिए) के पालन हेतु 4.80 लाख तक की सहायता राशि/ऋण (न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 20 बछिये हेतु) • केचुए की खेती हेतु अधिकतम 20,000 रूपये • दूध की मशीनें, दूध की जांच करने वाली मशीनें खरीदने हेतु एवं शीतल रखने वाली ईकाइयों की स्थापना हेतु (अधिकतम 20,000 लीटर की झमता हेतु) 18 लाख तक की सहायता राशि/ऋण • स्वदेशी दुग्ध उत्पाद बनाने हेतु मशीनों की खरीद के लिए 12 लाख तक की सहायता राशि/ऋण • डेयरी उत्पाद परिवहन सुविधाओं एवं कोल्ड चेन की स्थापना हेतु 24 लाख की सहायता राशि/ऋण • दूध एवं दूध उत्पाद हेतु कोल्ड स्टोर की स्थापना हेतु 30 लाख की सहायता राशि/ऋण • निजी पशु चिकित्सा क्लीनिक खोलने हेतु 2.4 लाख की सहायता राशि/ऋण एवं मोबाईल क्लीनिक हेतु 1.8 लाख की सहायता राशि/ऋण • डेयरी उत्पाद के विणपन (मार्केटिंग) हेतु 56,000 की सहायता राशि/ऋण
योग्यता	• किसान, डेयरी सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्थाएं, दुग्ध संघ • किसी बैंक से डिफाल्टर (ऋण लेकर अदा न करने वाला) न हो
आवश्यक प्रमाणपत्र	• राशन कार्ड की प्रति/निवास प्रमाण पत्र की प्रति • 1 लाख से उपर के ऋण के लिए जमीन के काजग बंधक रखे जाएंगे • 3 पासपोर्ट साईज फाटोग्राफ • परिवहन से संबंधित किस ऋण हेतु ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति • पशु चिकित्सा से संबंधित ईकाई हेतु संबंधित शैक्षिक प्रमाणपत्र की प्रति
आवेदन कैसे करें	जिला पशु–विभाग के अधिकारी से संपर्क कर आवेदन दें
अन्य सूचनाएं	• एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी योजना का लाभ उठा सकते है, लेकिन अलग–अलग ऋण की स्थापित ईकाईयां अलग–अलग हो और दो ईकाइयों की चारदीवारी के बीच कम से कम 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। • ऋण अदायगी हेतु 3 से 7 वर्ष का समय मिलता है। डेयरी ईकाई की स्थापना में 3 से 6 माह की छूट अवधि और बछिये पालन ईकाई के दौरान 3 साल तक की छूट अवधि मिलती है।
संपर्क	डायरेक्टर (डेयरी विकास) दूरभाषः 91–11–23388688 ईमेल : sagarmehra@nic.in वेबसाईट : http://dahd.nic.in/